प्रेषक,

योगेन्द्र चौहान,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः–
माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषयः– न्यायिक सेवा में आने के पूर्व की सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ वर्तमान न्यायिक सेवा में योजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैंने दिनांक 13.05.2009 को अपर सिविल जज (क0प्र0) रायबरेली के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पूर्व में मैं विज्ञापन संख्या ए–4/ई–1/2002 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयनित हुआ था और जनपद मुरादाबाद एवं हरदोई में दिनांक 11.04.2005 से दिनांक 12.05.2009 तक कार्यरत रहा। मेरे द्वारा अभियोजन विभाग से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके सिविल जज (क0प्र0) का फार्म भरा गया था। सिविल जज (क0प्र0) की सेवा में चयनित होने के उपरांत मेरे द्वारा अभियोजन निदेशालय से सिविल जज (क0प्र0) की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभियोजन सेवा से मुक्त होने की अनुज्ञा मांगी गयी। इस पर अनुसचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या 1111/छः–पु0–9–09–31 (107)/99 दिनांकित 08.05.2009 के द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में स्थायी होने तक या अभियोजन की सेवा में तीन वर्ष तक, या इनमें से जो भी पहले हो, के पद पर मेरा धारणाधिकार (लिएन) बनाये रखने का आदेश हुआ। इसी प्रकार का आदेश पत्रांक संख्या–एक–दो–ए0पी0ओ0–कार्यमुक्त–2009/2310/08, दिनांकित 06.05.2009 को अपर निदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा भी किया गया। मेरे द्वारा श्रीमान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरदोई के आदेश दिनांकित 12.05.2009 के अनुपालन में सहायक अभियोजन अधिकारी का कार्यभार छोड़ा गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के विज्ञापन/अधिसूचना संख्या–297/ए0आर0(एस)/2009 दिनांकित 17.04.2009 एवं उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–1247/द्वितीय–4–09–32(1)/2008 दिनांकित 01.04.2009 के अनुपालन में जनपद रायबरेली में अपर सिविल जज (क0प्र0) का कार्यभार दिनांक 13.05.2009 को ग्रहण किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुसार दिनांक 28.03.2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इस विकल्प को चयन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2024 है। मेरी

Scanned with OKEN Scanner

सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा की विज्ञप्ति दिनांक 28.03.2005 से पूर्व की है। मेरे द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करना है। मेरी सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा के दौरान तैयार की गयी सेवा पुस्तिका वर्तमान समय में शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज में मौजूद है। मैं दिनांक 11.04.2005 से उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में निरन्तर बिना किसी भी बाधा (रूकावट) के कार्यरत हूं। मेरी पूर्व की सेवा को पंशन के प्रयोजनार्थ एक साथ योजित (जोड़ा) किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरी पूर्व से सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ वर्तमान न्यायिक सेवा में योजित करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 09.07.2024

प्रार्थी/भवदीय,

09.07.2024

(योगेन्द्र चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

संलग्नकः–

1. अभियोजन विभाग की सेवा से से कार्यमुक्त होने का आदेश।
2. सिविल जज कनिष्ठ प्रखण्ड रायबरेली में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र।
3. विज्ञप्ति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पत्रांक– 1227 /2024/प्रशा0/मुरादाबाद, दिनांकः 09/7/24

सेवा में,

माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को ससम्मान अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
09/7/24

Scanned with OKEN Scanner

शासन आदेश सं0–17/2019/सा–3–346/दस–2019–933/89 दिनांक 30 अप्रैल पर वांछित सूचना का विवरण।

1–वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	योगेन्द्र चौहान,
(2) पदनाम एवं वेतनमान	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–मूल वेतनमान 163030/रू0
(3) कार्यालय/विभाग का नाम	उ0प्र0 न्यायिक सेवा
(4) जन्मतिथि	01.02.1977 (एक फरवरी सन् उन्नीस सौ सतहत्तर)
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	13 मई, 2009
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	राज्यपाल उ0प्र0 शासन
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	माननीय उच्च न्यायालय के विज्ञापन/अधिसूचना संख्या–297/ए0आर0 (एस)/2009 दिनांकित 17.04.2009 एवं उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–1247/द्वितीय–4–09–32(1)/2008, दिनांकित 01.04.2009
(8) अधिवर्षता की तिथि	....
2– पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	योगेन्द्र चौहान,
(10) पदनाम एवं वेतनमान	सहायक अभियोजन अधिकारी–मूल वेतनमान 6500/–रू0
(11) कार्यालय विभाग का नाम	अभियोजन कार्यालय
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	राज्यपाल उ0प्र0 शासन
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	11 अप्रैल, 2005
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	12 मई, 2009
(15) क्या पूर्व की सेवाएं पेंशनवेल थी	नहीं।
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीजनल/नियत वेतनमान पर सेवा की गयी ? यदि हां तो विवरण दिया जाये (विनियमितीकरण आदेश की प्रति संलग्न की जाये)	नहीं। पूर्व में उ0प्र0 राज्य के अधीन नियमित सेवा की गयी।

[signature] 09.07.2024

दिनांक 09.07.2024

(योगेन्द्र चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, हरदोई।
संख्या: हरदोई-नि0-प्रशासन/09/180/09

कार्यालय आदेश :

अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-एच-डी-एस0ओ-कार्यमुक्त-2009/2310/08 दिनांकित 8 मई 2009 के आधार जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2006 के आधार पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयन के फलस्वरूप श्री योगेन्द्र चौहान सहायक अभियोजन अधिकारी को आज दिनांक 12.05.2009 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जा रहा है।

उक्त अधिकारी के पक्ष में कोई देय/प्रकरण लम्बित होने के तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं।

(बदलू राम)
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
हरदोई।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर/निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक अभियोजन, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, हरदोई।
4. सम्बन्धित अधिकारी।

12/05/09

(बदलू राम)
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
हरदोई।

Self attested
09.07.2024

कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), रायबरेली का प्रभार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति सं0 297/ ए.आर.(एस)/2009 दिनांकित 17.04.2009 एवं उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1247/II-4-09-32(1)/2008 दिनांकित 01.4.2009 के अनुपालन में आज दिनांक **13.05.2009** को पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

(योगेन्द्र चौहान)

कार्यभार ग्रहण अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जनपद न्यायाधीश
रायबरेली।
13.5.09

पत्रांक : 459(9)/I-28-09 दिनांक : 13.05.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1 महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2 निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठिका, लखनऊ।
3 संयुक्त निबन्धक, कम्प्यूटर्स, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
4 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5 सचिव, उ0 प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग–4, लखनऊ।
6 महालेखाकार, ए0 जी0–8 अनुभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
7 संयुक्त निदेशक कोषागार निदेशालय कैम्प कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
8 कोषाधिकारी, रायबरेली।
9 सम्बन्धित अधिकारी।
10 कार्यालय अभिलेख

Self attested
09.07.2024

न्यायालय की आज्ञा से,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
न्यायालय जनपद न्यायाधीश
रायबरेली।
13.05.2009

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner